प्रेस विज्ञप्ति
27.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने मायरोन रोड्रिग्स और अन्य द्वारा संचालित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.02.2026 को 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने उत्तरी गोवा की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और मुंबई के एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच में पता चला कि मायरोन रोड्रिग्स और अन्य लोगों ने कई निवेशकों को शेयर बाजार और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों में उच्च और सुनिश्चित लाभ के झूठे आश्वासन देकर धन निवेश करने के लिए प्रेरित किया। आरटीजीएस/एनईएफटी और अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया और बेईमानी से उसे अपने पास रखा गया और व्यक्तिगत उपयोग तथा संपत्ति अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया।

पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई जांच में अपराध से अर्जित लगभग 14.82 करोड़ रुपये की धनराशि का खुलासा हुआ है। उक्त धनराशि का उपयोग बाद में बैंक जमा, सावधि जमा और अचल संपत्तियों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को खरीदने में किया गया और उनके अवैध स्रोत को छिपाने के प्रयास में उन्हें बेदाग परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया।

इससे पहले, ईडी ने दिनांक 25.11.2024 को अंतरिम कुर्की आदेश जारी कर इस मामले में लगभग 2.98 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। वर्तमान में 3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 5.98 करोड़ रुपये हो गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।